न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

महेश साव

—बनाम—

राजेश साव वगै0

वाद सं0 04/17 धारा—144 दं0प्र0सं0

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

प्रस्तुत वाद गोरहर थाना अप्राथमिकी सं0—01/17 दिनांक 01.02.2017 के आधार पर मौजा बेलकपी, थाना—गोरहर, जिला—हजारीबाग के अन्तर्गत खाता सं0 34, प्लॉट सं0 3040, रकबा 0.02डी0 चौहदी उ0—किशोर साव, द0—छोटी साव, जानकी साव, पू0—प्रयाग साव, बासुदेव साव, पं0— चेलेगी साव का कुआं वाली भूमि पर दिनांक 13.02.2017 कार्यवाही प्रारम्भ की गई। धारा—144 दं0प्र0सं0 के तहत प्रारम्भ करते हुए पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर अपना—अपना कारण पृच्छा एवं भूमि संबंधी कागजातों की मांग की गयी। नोटिस तामिला अभिलेख में संलग्न। नोटिस प्राप्ति के पश्चात पक्षकार उपस्थित हुए।

प्रथम पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये जाने की स्थिती में उनके द्वारा दिनांक 28.01.2017 को थाना में दिये आवेदन के अनुसार उनका कहना है कि खाता सं0 34, प्लॉट सं0 3040, रकबा— 0.2डी0 जो खतियान में मेरी माँ के नाम से अंकित है। (खतियान की छायाप्रति) दिनांक 28.01.2017 को अर्जुन साव पिता स्व0 मोहन साव एवं राजेश साव पिता जानकी साव दोनों ग्राम बेलकपी, थाना गोरहर, जिला हजारीबाग के द्वारा जबरदस्ती मेरे द्वारा फसल लगाये जमीन पर ईटा एवं मिट्टी गिराकर फसल बर्बाद कर रहा है।

द्वितीय पक्ष की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया के अनुसार उनका कहना है कि कारण पृच्छा के पारा—4 में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के क्रमांक 03 पर अंकित अर्जुन साव पिता स्व0 मोहन साव आपस में सहोदर भाई है एवं कारण पृच्छा के पारा—06 में उल्लेख किया गया है कि अर्जुन साव से द्वितीय पक्ष जानकी साव की पत्नी श्रीमान कुन्तु देवी को उक्त विवादित भूमि केवाला सं0 2717 वर्ष—2016 में बेचा गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा साक्ष्य के रूप में केवाला, शुद्ध पत्र, क्रेता सूचना, की छायाप्रति दाखिल किया गया जो अभिलेख में संलग्न है।

अभिलेख में उपलब्ध पुलिस प्रतिवेदन कारण पृच्छा दाखिल कागजातों की छायाप्रति एवं विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि द्वितीय पक्ष की माँ वास्तविक पक्षकार है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अतः दोनों पक्षों को शांति बनाये रखने के निर्देश के साथ बिना किसी प्रभावी आदेश की इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

20/04/17

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

20/04/17

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।